राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 150/2010/अलवर
अपील संख्या – 151/2010/अलवर

मैसर्स यूनिवर्सल सिलेण्डर्स लि.,
197, एम.आई.ए., अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 152 एवं 151/अपील्स–IV/09–10/के में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति क्रमशः रूपये 1,74,048/– एवं 55,956/– को यथावत रखा है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने क्रमशः अपील संख्या 358 एवं 356/आरएसटी/अलवर/1999–00, सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् पारित शास्ति आदेश दिनांक 21.04.1999 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी द्वारा उनक पृथक–पृथक आदेश दिनांक 21.06.2001 एवं 05.05.2001 द्वारा शास्ति को अपास्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई। कर बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2002 द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा। कर बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा

लगातार.....2

अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसकी पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.01.2010 द्वारा अपीलार्थी पर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा गया।

4. शास्ति आदेश के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.1999 एवं 11.04.1999 को सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या आर.जे.–06–1886 को दस्तावेज संग्रहण केन्द्र, रतनपुर (डूंगरपुर) एवं आर.जे.–01जी–2967 को अहमदाबाद–उदयपुर मार्ग पर रतनपुर बिल/बिल्टी संग्रहण केन्द्र पर रोक कर चैक किया। सशक्त अधिकारी ने माल से संबंधित दस्तावेजों को चैक करने पर पाया कि परिवहनित कर योग्य माल HR Sheet के साथ घोषणा पत्र एस.टी.–18ए संख्या 921404 एवं 921405 अपूर्ण भरा है। अतः सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया जिसकी पालना में अपीलार्थी–व्यवहारी की ओर से श्री ए.ए. साल–भाई उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया जिसे सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 1,74,048/– एवं 55,956/– आरोपित की। माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2010 द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें पेश की गयी है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी द्वारा लिपिकीय भूल के कारण घोषणा पत्र एस.टी.–18ए पूर्ण करना रह गया एवं माल के साथ संलग्न कर दिया। घोषणा पत्र का तकनीकी भूल की श्रेणी में आता है। जिसकी सशक्त अधिकारी ने कोई जांच नहीं की, और शास्ति का आरोपण कर दिया। अतः आरोपित शास्ति को अपास्त किया जावें।

7. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। उन्होंने अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वक्त जांच अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वाहनों में लदे माल HR Sheet से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। HR Sheet राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिसूचित कर योग्य वस्तु है जिसके लिए परिवहनित माल के साथ एस.टी. फार्म 18–ए पूर्ण रूप से रिक्त था,

लगातार.....3

जबकि पूर्ण भरा हुआ होना आज्ञापक है। अतः घोषणा पत्र का पूर्ण रूप से भरा न होना तकनीकी भूल में नहीं आता है। अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है, एवं विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सशक्त अधिकारी का आदेश एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखे जाते है।

9. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष